

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

संख्या :- 17 - योजना (अतिरिक्त उद्व्यय) -126/2019.....७५.....

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

वीरचन्द पटेल पथ,
बिहार, पटना।


पटना, दिनांक :- 08-01-2021

विषय :- बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम के अन्तर्गत नवनियोजित संविदा कर्मियों के पारिश्रमिकी/मानदेय के भुगतान हेतु राज्य योजना-मद में योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा अनशंसित एवं मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृत अतिरिक्त योजना उद्व्यय के आलोक में विपत्र कोड - 40-2029001020101 के ईकाई कोड- 28 02 संविदा सेवाएँ मद में राशि-17866.590 लाख रूपये (एक सौ अठहत्तर करोड़ छियासठ लाख उनसठ हजार रूपये मात्र) व्यय की स्वीकृति।

आदेश :- स्वीकृत।


2. बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम के अन्तर्गत नवनियोजित संविदा कर्मियों के पारिश्रमिकी/मानदेय के भुगतान हेतु राज्य योजना-मद बजट मुख्य शीर्ष - 2029 - भू- राजस्व - उप मुख्य शीर्ष - 00 - लघुशीर्ष - 102 - सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य - उप शीर्ष - 0101 - सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य का पुनरीक्षण, ईकाई कोड- 28 02 संविदा सेवाएँ मद, मांग संख्या - 40, विपत्र कोड सं० 40-2029001020101 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में उपबंधित राशि-17866.590 लाख रूपये (एक सौ अठहत्तर करोड़ छियासठ लाख उनसठ हजार रूपये मात्र) के व्यय की स्वीकृति दी जाती है।
3. उपर्युक्त स्वीकृत राशि की निकासी सभी संबंधित समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी/ बन्दोबस्त पदाधिकारी/सहायक निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना द्वारा की जायेगी।
4. उपर्युक्त स्वीकृत राशि की निकासी विभागीय संकल्प संख्या- 315 दिनांक 27.02.2019 की कंडिका-05 की स्तम्भ संख्या -07 में अंकित निर्धारित मानदेय/पारिश्रमिकी की राशि के अनुसार की जायेगी।
5. योजनान्तर्गत कार्य हेतु उपबंधित एवं स्वीकृत राशि की निकासी के लिए महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विधिवत् रूप से स्वीकृत एवं अनुमान्य दर पर राशि की निकासी एवं व्यय के लिए सक्षम होंगे।
6. नवसृजित संविदा पद के पारिश्रमिकी/मानदेय की राशि की स्वीकृति के प्रस्ताव में संचिका संख्या-17 योजना (अतिरिक्त उद्व्यय)-126/2019 की टिप्पणी पृष्ठ संख्या-48/टि० में दिनांक 05.01.2021 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या- 02 पर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


(विवेक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव


ज्ञापांक :-17-योजना (अतिरिक्त उद्व्यय)-126/2019.....74..... पटना, दिनांक 08-01-2021

प्रतिलिपि :- योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


अपर मुख्य सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग


ज्ञापांक :-17-योजना (अतिरिक्त उद्व्यय)-126/2019.....74..... पटना, दिनांक 08-01-2021

प्रतिलिपि :- निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना/बजट प्रशाखा-5, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर मुख्य सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग


ज्ञापांक :-17-योजना (अतिरिक्त उद्व्यय)-126/2019.....74..... पटना, दिनांक 08-01-2021

प्रतिलिपि :- सभी समाहर्ता/सभी समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी/सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी/प्राचार्य, राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, बोधगया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर मुख्य सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग


ज्ञापांक :-17-योजना (अतिरिक्त उद्व्यय)-126/2019.....74..... पटना, दिनांक 08-01-2021

प्रतिलिपि :- सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर मुख्य सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग


ज्ञापांक :-17-योजना (अतिरिक्त उद्व्यय)-126/2019.....74..... पटना, दिनांक 08-01-2021

प्रतिलिपि :- सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर मुख्य सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक :-17-योजना (अतिरिक्त उद्व्यय)-126/2019.....74..... पटना, दिनांक 08-01-2021

प्रतिलिपि सुश्री सुरभि सिंह, डाटा एनालिस्ट, भू-अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को निदेशालय वेबसाईट में अपलोड करने हेतु प्रेषित।


अपर मुख्य सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग